वस्त्र तथा पटसन उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

(01/04/1999 से 31/03/2007)

दिनांक:30/04/2005 तक यथा संशोधित

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, 48 न्यू मरीन लाइन्स

मुंबई - 400 020

Website: txcindia.com

सुबोध कुमार

प्रस्तावना

सरकार द्वारा वस्त्र तथा पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु प्रारम्भ की गई प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो) सम्भवत: उद्योग विशिष्ट पहली वित्तीय योजना है । भारतीय वस्त्र उद्योग विशालकाय होने के बावजूद इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का अभाव है । इसका मुख्य कारण अप्रचलित प्रौद्योगिकी एवं बड़े पैमाने के सुलाभ का अभाव है । एमएफए पश्चात जब वस्त्र व्यापार तथा उद्योग का उदारीकरण एवं वैश्वीकरण होगा । इस फलस्वरूप उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिये वस्त्र उद्योग का प्रौद्योगिकी उन्नयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना अनिवार्य है । भारत में पूँजी की अत्याधिक लागत वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन में अवमंदन के लिए जिम्मेदार अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण है । सरकार द्वारा दिनांक 01/4/1999 से 5 वर्ष की अवधि के लिये योजना प्रारम्भ की गई है, जो 5% ब्याज वापसी उपलब्ध कराती है, जिसका मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण के लिये बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से अंतर्राष्ट्रीय ब्याज-दर पर पर्याप्त पूँजी उपलब्ध कराना है । विनिर्दिष्ट मशीनरी के लिए प्रौद्योगिकी स्तर बैंचमार्कड हैं । योजना का प्रचालन बाद में 31/3/2007 तक अर्थात् 10 वीं पंचवार्षिक योजना के अन्त तक बढ़ाया गया है।

2. यद्यपि योजना काफी अपेक्षाओं के साथ आरंभ की गई थी, प्रचालन से 62 महीनों में योजना का लाभ उठाने में उद्योग ने अधिक रूचि नहीं ली तथापि लगभग 2416 वस्त्र/पटसन इकाइयों (अधिकतर लघु उद्योग क्षेत्र के) ने योजना के तहत् रू.5400 करोड़ तक सहायता का लाभ उठाया । योजना में आशोधन/छूट/संशोधन का सुझाव देते हुए सरकार को उद्योग क्षेत्र एवं संबद्ध संगठनों से कई अभिवेदन प्राप्त हुए हैं । उन सभी सुझावों के ध्यानपूर्वक जांच के उपरांत इन्हें टीएएमसी बैठकों में विचारार्थ रखा गया तथा समिति ने कई आशोधनों का अनुमोदन किया । जिन्हें तत्पश्चात् अं.मं.सं.स. ने अनुमोदित किया। आशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ पात्र मशीनरी की सूची में अधिकतर पुराने आयातित मशीनरी को जोड़ना, लघु उद्योग क्षेत्र के लिये सी एल सी एस-प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत 12% पूंजीगत सहायिकी, विद्युतकरघा इकाइयों के लिये 20% पूंजीगत सहायिकी का अतिरिक्त विकल्प का समावेश, योजना के अंतर्गत अतिरिक्त दस्तावेजों का समावेश जैसे अ-परिवर्तनीय ऋणपत्र (एनसीडी), विलंबित भुगतान गारंटी (डीपीजी) पट्टे पर वित्तीय सहायता एवं एनएसआईसी योजना की किराया-खरीद, वार्षिक आधार पर रूपयों में आवधिक ऋण का विदेशी मुद्रा ऋण में तथा विलोमत: परिवर्तन के लिये अनुमति, वित्तीय तथा प्रौद्योगिकी मापदंडों में कई अन्य रियायतें, नोडल अभिकरणों द्वारा सहयोजित बैंकों/वित्तीय संस्थान के सूची में जोड, जिसमें अन्य के साथ-साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) तथा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजन्सी (आईआरईडीए) समाविष्ट हैं । हथकरघे की समुन्नत किस्म तथा हथकरघा बुनकरों द्वारा प्रयुक्त परीक्षण उपकरणों सहित कई अतिरिक्त उपकरण भी योजना के अन्तर्गत समाविष्ट किये गये हैं । इसके अतिरिक्त सरकार ने अनुमोदन दिया है कि एक खण्ड के लिये पात्र

मशीनरी दूसरे खण्ड/कार्यकलाप के लिये पात्र की जाए, जब तक इसकी पात्रता विशेष खण्ड के विशिष्ट रूप से सीमित न की गई हो । संक्षेप में योजना को अधिक लचीला एवं उद्योग के अनुकूल बनाया गया है ।

3. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो) पुस्तिका को आखिरी बार 31/3/2003 तक किये गये आशोधनों को समाविष्ट करके अद्यतन किया गया। चूंकि, तदुपरांत इसमें कई आशोधन किये गये हैं, अत: 30/9/2004 तक अद्यतन संस्करण निकालना आवश्यक समझा गया । इस पुस्तिका में, पहले के संस्करणों की तरह प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर सरकारी संकल्प (जीआर) सामान्य पात्रता शर्तें, अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति (अं.मं.सं.स.) का गठन, तकनीकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति (टीएएमसी) का गठन तथा नोडल अभिकरण के वित्तीय मापदंड जैसे ऋण की अवधि, ऋण की राशि, संप्रवर्तकों का योगदान, प्रत्येक नोडल अभिकरण के लिये पुनर्भुगतान मापदंड आदि समाविष्ट हैं । सहयोजित प्रा.ऋ. संस्थानों (नोडल अभिकरण-वार) की सूची भी दी गई है । पात्र मशीनरी की सूची पुस्तिका के परिशिष्ट ए से आई में दी गई है । इसके अतिरिक्त पुस्तिका में मार्च,1999 से योजना में संशोधन/आशोधन करने के लिये जारी परिपत्र भी प्रकाशित किये गये हैं ।

4. मुझे आशा है, वस्त्र उद्योग तथा इस उद्योग से जुड़े अन्य संगठन, विशेषत: प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत निवेशक इस पुस्तिका को उपयोगी पाएंगे । मैं वस्त्र उद्योग, संघ, नोडल अभिकरण तथा सहयोजित प्रा.ऋ.सं. को योजना के कार्यान्वयन में उनके सहयोग तथा उनके अमूल्य सुझावों के लिये आभार प्रकट करता हूँ । योजना में दी गई ऐसी छूट तथा इसके लचीलेपन के मद्देनजर, मैं चाहता हूँ कि सभी खण्डों तथा क्षेत्रों को वस्त्र तथा पटसन औद्योगिक इकाइयां प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिये लागू योजना की वित्तीय सहायता का लाभ उठाएंगे और स्वस्थ तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक योग्य भारतीय वस्त्र उद्योग का निर्माण करेंगे ।

(सुबोध कुमार)
वस्त्र आयुक्त
वस्त्र मंत्रालय,
भारत सरकार,
मुंबई

दिनांक: 06/07/2004

अनुक्रमणिका

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

पृष्ठ संख्या

खण्ड-1

प्रौउनियो के प्रौद्योगिकी प्रचालन प्राचलों पर
पर सरकारी संकल्प

खण्ड-2

आई डी बी आई
सिडबी
आईएफसीआई
के वित्तीय मापदंड

खण्ड ३3

अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति
तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति
शिकायत प्रकोष्ठ

खण्ड-4

योजना के अंतर्गत पात्र मशीनों की सूची

खण्ड-5

योजना में आशोधन करने के लिए समय-समय
पर जारी परिपत्र

खण्ड-6

सहयोजित वित्तीय संस्थानों की सूची
प्रौउनियो से जुड़े सरकारी कार्यालयों के पते, दूरभाष तथा फैक्स नं.
मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं विनिर्दिष्ट अभिकरणों की शाखा
कार्यालयों के पते दूरभाष एवं फैक्स नं.

खण्ड - 1

प्रौद्योगिकी प्रचालन प्राचलों पर प्रौउनियो पर सरकारी संकल्प

दिनांक:30 अप्रैल,2005

(01.04.1999 से 31.03.2007 तक यथा संशोधित)

वस्त्र मंत्रालय
संकल्प

सं.28/1/99-सीटीआय/ **नई दिल्ली**, 31 मार्च,1999

उद्देश्य :-

भारतीय अर्थ व्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन, रोजगार की संभावनाओ और निर्यात की दृष्टि से भारतीय वस्त्र उद्योग को विशेष स्थान प्राप्त है । विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से मजबूत फाइबर और उत्पादन बुनियाद होने के बावजूद, इस उद्योग को अप्रचलित प्रौद्योगिकी और बडे पैमाने के सुलाभ के अभाव से जूझना पड़ रहा है । प्रौद्योगिकी उन्नयन की गति के अवमंदन के लिए जहाँ अत्याधुनिकतम प्रौद्योगिकी की अत्याधिक लागत और ढांचागत असंगतता जिम्मेदार कारण है, परन्तु भारत में विशेष रूप से न्यूनतम लाभांश वाले इस उद्योग में अपेक्षाकृत पूंजी की अत्यधिक लागत इस स्थिति के लिए एक मात्र महत्वपूर्ण कारण रहा है । भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण स्वास्थय के लिए उद्योग के महत्व, इसकी रेाजगार संभावनाएं और प्रौद्योगिकी उन्नयन की पूर्वगत बॅक्लॉग के मद्देनजर विशेष रूप से राष्ट्रीय औद्योगिक और व्यापार नीति और वस्त्र उद्योग के औद्योगिकरण के संदर्भ में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने स्पर्धात्मकता दौड में बने रहने के लिए और इसमें तथा दीर्घकालिक अर्थक्षमता में सुधार लाने के लिए इस बात पर जोर दिया कि वस्त्र उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन कर सके, इस के लिए अनिवार्य है कि अंतरराष्ट्रीय समतुल्य ब्याज दरों पर यथासमय एवं पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो सकें ।

पूर्वगत को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझा गया कि, केन्द्रित और समयबद्ध प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना प्रारम्भ की जाए, जिससे कि उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा आधुनिकीकरण के लिए संकेन्द्रित प्रयास किए जा सके । प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की मुख्य विशेषता है कि इस योजना के लिए ऋणदाता वित्तिय संस्थानों द्वारा सस्वीकृत परियोजनाओं पर वसूल किए जाने वाली 5% ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

संकल्प

अत: यह निश्चय किया गया कि प्रौद्योगिकी उन्नयप निधि योजना, 1 अप्रैल,1999 से 5 वर्ष तक के लिये यानि 31 मार्च,2004 तक के लिए जिसे बाद में 31.03.2007 तक बढ़ा दिया गया है वस्त्र, पटसन और कॉटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग इंण्डस्ट्रीज के लिये परिचालित की जायेगी । इस संकल्प के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना पर ऋणदाता अभिकरण द्वारा प्रभारित ब्याज पर 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति इस योजना के अंतर्गत की जायेगी ।

01 जनवरी,2002 से लघु उद्योग वस्त्र तथा पटसन इकाइयों को विकल्प दिया गया है कि वे प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत या तो 12% क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सबसिड़ी (सीएलसीएस-टीयूएफएस) का या 5% ब्याज प्रतिपूर्ति का लाभ उठाए। दिनांक 13/01/2005 से ब्याज की 12% की दर में 15 % तक वृद्धि की गई है।

दिनांक 06 नवंबर,2003 से विद्युत कर्घा इकाइयों को एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान किया गया है कि वे प्रौउनियो के संगत विनिर्दिष्ट मशीनरी में निवेश पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति / 15% सीएलसीएस-प्रौउनियो के स्थान पर , प्रौउनियो के अंतर्गत 20% कॅपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं बशर्ते कि अधिकतम पूंजी रूपये 60 लाख हो तथा कॅपिटल सब्सिडी की अधिकतम सीमा रूपये 12 लाख हो। दिनांक 13/01/2005 से मशीनरी के लिए अधिकतम पूंजी रूपये 60 लाख से एक करोड़ तथा पूंजी सहायता की अधिकतम सीमा रूपये 12 लाख से रूपये 20 लाख तक बढ़ा दी गई है।

इस योजना का विस्तार ,पात्रता, मापदण्ड व प्रचालन पैरामीटर को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा रहा है।

000

I. योजना का विस्तार

निम्नलिखित विवरण टेक्नालाजी अपग्रेडेशन फंड के अंतर्गत सम्मिलित है ।

(क) कॉटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग

(ख) वस्त्र उद्योग में शामिल

(1) सिल्क रिलिंग एण्ड ट्विस्टिंग
(2) वूल स्कावरिंग एण्ड कोम्बींग
(3) सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्न टेक्सराइजिंग, क्रीम्पिंग एण्ड ट्वीसटींग
(4) स्पीनिंग
(5) विस्कोस स्टेपल फाइबर (वी.एस.एफ.) और विस्कोस फिलामेन्ट यार्न (वी.एफ.वाय) ।
(6) विविंग, निटिंग जिसमें नॉन वोवेन, फॅब्रिक्स एम्ब्रायडरी एण्ड टेक्नीकल टेक्सटाइल्स समाविष्ट है ।
(7) गारमेन्टस/मेड-अप विर्निर्माण ।
(8) फाइबर, यार्न, फॅब्रिक्स, गारमेन्टस् एण्ड मेड-अप का प्रोसेसिंग

(ग) पटसन उद्योग

II. सहायता के लिये पात्रता मापदण्ड

1. प्रौद्यागिकी उन्नयन की परिभाषा

प्रौद्यागिकी उन्नयन का सामान्यत: अर्थ स्टेट ऑफ दी आर्ट या नियर स्टेट ऑफ दी आर्ट प्रौद्योगिकी का समावेशन होना चाहिए । परन्तु भारतीय वस्त्र उद्योग में व्यापक रूप से परिवर्तन हुआ है । फिर भी वस्त्र उद्योग में अधिक परिपक्वता आने के लिये अधिक कारगर कदम उठाना जरूरी है । तद्नुसार प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिये निर्दिष्ट मशिनरी के बजाय अगर कोई मशिनरी खरीदी जाती हैं तो उसका स्तर निर्दिष्ट मशिनरी के स्तर से कम नहीं होना चाहिए अन्यथा टी.यू.एफ. योजना के अंतर्गत उसे मान्यता नहीं दी जायेगी ।

2. पात्र मशिनरी (ऐलिजिबल मशिनरी) :

प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत निम्नलिखित मशिनरी नई इकाई में स्थापित की जा सकती है या चालू इकाई में पुरानी मशिनरी को बदलने और उसका विस्तार करने के लिए नई मशीनरी स्थापित की जा सकती है ।

2.1	**कॉटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग**	**अनुलग्नक-ए**
2.2	**स्पिनिंग/सिल्क रिलिंग एण्ड ट्वीसटींग वूल स्कावरिंग एण्ड कोम्बीग/सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्न टेक्सराइझिंग क्रिम्पींग एण्ड ट्विसटिंग**	**अनुलग्नक-बी**
2.3	**मैन्युफॅक्चरिंग ऑफ विस्कोस फिलामेन्ट यार्न और विस्कोस स्टेपल फाइबर**	**अनुलग्नक-सी**
2.4	**विविंग/निटिंग जिसमें नॉन वोवेन एण्ड टेक्नीकल टेक्सटाइल समाविष्ट है ।**	**अनुलग्नक-डी (1-2)**
2.5	**गारमेन्ट/मेड-अप मॅन्युफॅक्चरिंग**	**अनुलग्नक-ई**
2.6	**फायबर/यार्न/फॅब्रिक्स/गारमेन्ट/ मेड-अप का प्रोसेसिंग**	**अनुलग्नक-ए(1-4)**
2.7	**पटसन उद्योग**	**अनुलग्नक-जी**
2.8	**विभिन्न क्षेत्रों के लिये एनर्जी सेविंग एवं प्रोसेस कन्ट्रोल इक्वीपमेण्टस्**	**अनुलग्नक-एच**
2.9	**विद्युत करघा क्षेत्रों के लिए 20 प्रतिशत सी.एल.सी.एस.-टफ के अन्तर्गत पात्र मशिनरी**	**अनुलग्नक-आई**
2.10	**प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 10% पूंजीगत सहायता के लिए पात्र मशीनरी**	**अनुलग्नक -जे**

टिप्पणी :- दिनांक : 27 मई,2004 के परिपत्र सं. (2004-2005 श्रृंखला) के अंतर्गत एक खंड के लिए पात्र मशीनरी अन्य खंड/गतिविधि के लिए पात्र की गई है जब तक कि इसकी पात्रता विशेष रूप से विशिष्ट खंड के लिए सीमित न की गई हो।

(3) <u>साधारण पात्रता शर्ते</u>

3.1 <u>इकाई के प्रकार</u>

1. विद्यमान इकाई विस्तारण सहित या बिना विस्तारण और नई इकाइयाँ।
2. विद्यमान इकाई का स्टेट आफ दि आर्ट टेक्नालॉजी के साथ आधुनिकीकरण कर सकते हैं या विस्तार कर सकते हैं ।
3. नई इकाइयाँ सम्पूर्ण सुविधाओं की स्थापना केवल उपयुक्त पात्र प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही कर सकते हैं ।
4. एक इकाई I- स्कोप ऑफ स्किम में सूचीबद्ध एक या अनेक गतिविधियों में संलग्न हो सकते थे। जबकि अब बहुविध कार्यों को अभिन्न रूप में ही किया जा सकता है । अर्थात अग्रवर्ती अथवा पश्चगामी एकीकरण के रूप में इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि बुनाई/निटिंग एवं कपडा का तैयार किया जाना/अथवा बुनाई/निटिंग तथा प्रोसेसिंग अथवा कपडे का तैयार किया जाना और प्रोसेसिंग को एकीकृत क्रियायें समझा जायेगा ।
5. शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) विदेशी इक्वीटी वाली वस्त्र/पटसन की इकाई।

3.2 पात्र टेक्सटाईल मशिनरी के प्रकार :-

(1) प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत सिर्फ नई मशिनरी को मान्यता दी जायेगी ।

(2) यद्यपि निम्नलिखित आयातित पुरानी मशिनरी भी प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत पात्र है :-

क) ऑटो-कोनर्स की पाँच वर्ष विन्टेज तथा 10 वर्ष तक की कम से कम अवशिष्ट अवधि ।

ख) एअर जेट, प्रोजेक्टाइल, रैपियर एवं वाटर जेट शटललेस करघे जिनमें इलेक्ट्रानिक जैकार्ड/इलेक्ट्रानिक डॉबी लगे हों अथवा नहीं तथा उच्च गति सहित/रहित डायरेक्ट बीम वार्पर क्रील सहित एवं/अथवा सेक्शनल वार्पिंग मशीन ऑटो स्टॉप सहित तथा 10 वर्षों तक टेंशन कन्ट्रोल तथा विन्टेज एवं अवशिष्ट अवधि 10 वर्ष तक हो। यद्यपि 10 वर्ष की विटेंज अवधि 22 फरवरी,2005 से 15 वर्ष तक बढ़ा दी गई है।

ग) निम्नलिखित वर्स्टेड क्षेत्र की मशिनरी जिनकी 10 वर्ष विन्टेज अवधि तथा जिनकी कम से कम न्यूनतम 10 वर्ष की अवशिष्ट अवधि हो :-

i) वर्स्टेड कार्ड
ii) उच्च गति इन्टर सेटिंग/गील बाक्स/चेन गिल्स/रोटरी गिल्स/वर्टिकल गील बाक्स ।
iii) वर्स्टेड सिस्टम के लिए ड्राईंग सेट/रोविंग फ्रेम/रबिंग फ्रेम ।
iv) वर्स्टेड सिस्टम के लिए रींग फ्रेम ।
v) वर्स्टेड सिस्टम के लिए रेक्टीलिनियर काम्बर्स ।
vi) साइरो स्पीनिंग अटैचमेन्ट वर्स्टेड सिस्टम के लिए आटो डाफर्स सहित/रहित ।
vii) दो टॉप कनवर्टर ।

घ) जूट उद्योग (अर्थात् जूट की साफ्टनींग एवं कार्डिंग, ड्राईंग, स्पीनिंग एवं वीविंग) की मशीनरी, जिसकी कम से कम 10 वर्ष की अवशिष्ट अवधि हो बशर्ते अधिकतम कार्य योग्य अवधि 10 वर्ष हो, ऐसी क्

च) कम्प्यूटराइज्ड फ्लैट बेड नीटिंग मशीन जिसकी गति कम से कम 10 चक्कर प्रति मिनट हो तथा 5 वर्ष की विन्टेज एवं अवशिष्ट कार्यकाल 10 वर्ष हो ।

छ) निम्नलिखित सिल्क वेस्ट टॉप्स बनाने की मशीनरी जिसकी 10 वर्ष विन्टेज हो तथा कम से कम 10 वर्ष अवशिष्ट कार्य अवधि हो :-

i) कम्प्यूटराइज्ड सिल्क वेस्ट कटिंग मशीन ।

ii) सिल्क वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए रोलर क्लियर सहित कार्डिंग मशीन ।

iii) गील बॉक्स सहित उच्च गति के ड्रा फ्रेम ।

iv) सिल्क की काम्बिग के लिए रेक्टीलीनियर कॉम्बर ।

ज) कपड़े की एम्ब्रायडरी मशीन जिसकी विन्टेज अवधि 10 वर्ष हो तथा अवशिष्ट कार्यकाल कम से कम 10 वर्ष हो ।

झ) वार्प एवं रासचेल नीटिंग मशीन जो चाहे वार्पिंग मशीन सहित अथवा बिना उसके हों जो वार्प नीटिंग/रासचेल नीटिंग मशीन के लिए बने हों एवं जिसमें धागे में तनाव डालने वाली सुविधा हो । जिनकी विन्टेज अवधि 10 वर्ष तथा कम से कम अवशिष्ट कार्यकाल की अवधि 10 वर्ष हो ।

ण) स्वचालित खुले किनारे वाली स्पीनिंग मशीन जिसकी गति 75,000 च.प्र.मि. तथा 10 वर्ष तक विन्टेज एवं कम से कम 10 वर्ष तक अवशिष्ट कार्यकाल हो ।

त) उच्च गति की सर्कुलर नीटिंग मशीन (कम से कम गति 20 चक्कर प्रति मिनट) 5 वर्ष की विन्टेज एवं कम से कम 10 वर्ष की अवशिष्ट कार्यकाल की अवधि हो ।

द) नॉन वूवन के लिये निम्नलिखित मशीनरी 10 वर्ष की विंटेज अवधि तथा कम से कम 10 वर्ष की अवशिष्ट अवधि सहित ।

(i) चूट फीडर डबल डॉफर के साथ उच्च गति कार्ड्स अथवा चूट फीड एअरोडायनैमिक के साथ रोलर कार्ड या फीडर के साथ कार्ड ।

(ii) क्रॉस लैपर

(iii) कम्प्रेसिव बैट फीडर तथा कम्प्रेसिंग ॲप्रन के साथ सूई करघा ।

(iv) 2 बाऊल थर्मो बैन्ड कैलेन्डर

(v) चूट फीट के साथ वेबलाईंग तथा वेब फॉर्मिंग (सिन्क्रोनाइज्ड) उच्च गति कार्डस

(vi) प्रिन्ट बॉन्डर

(ध) 5 वर्षों तक की क्रियाशीलता अवधि की विस्कोज फिलामेंट यार्न के लिये कताई मशीन (पॉट कताई के अतिरिक्त), संपूर्ण मोडयूल्स ड्राइव इकाइयों को समाविष्ट करके डिजिटल इलेक्ट्रोनिक फ्रिक्वेन्सी इनवटर्स जिसमें नियंत्रण बोर्ड, प्रोग्राम करने योग्य लोगिस्टिक कन्ट्रोल (पीएलसी), मीटरिंग गिअर पम्पस, स्पिनरेडस, काउंटर स्पिनरेट्स ।

(न) 10 वर्ष की विंटेज अवधि एवं कम से कम 10 वर्ष की अवशिष्ट अवधि सहित स्टैन्ड अलोन आधार पर पुरानी (सेकंड हैंड) इलेक्ट्रॉनिक डॉबी/इलेक्ट्रॉनिक जैक्वार्ड ।

(ट) इलेक्ट्रोनिक जेक्वार्ड/डॉबी स्टैण्ड अलोन आधार पर टफ योजना के अन्तर्गत पात्र हैं अर्थात् 10 वर्ष की विंटेज अवधि किसी भी करघे के अनुरूप होगी, चाहे वह करघा टफ योजना के अनुरूप हो या न हो ।

(3) निर्यात करने वाले राष्ट्र के चार्टर्ड अभियंता से आयातित सेकण्ड हैंड मशीनों की विंटेज अवधि तथा अवशिष्ट अवधि प्रमाणित करते हुए प्रमाण-पत्र उचित समय पर लेंडिंग अभिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जैसे कि लेंडिंग अभिकरण द्वारा नियत किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत पात्र सेकंड हैंड मशीनों के किसी भी आयात के लिये ऐसा प्रमाण-पत्र अनिवार्य है, चाहे ऐसे आयात का मूल्य कुछ भी हो ।

(4) संतुलन उपकरण अथवा उत्पादन प्रक्रिया की रूकावट कम करने के लिये आवश्यक उपकरण भी टफ योजना के अंतर्गत निधि के लिये पात्र होंगे ।

(5) छीजन कम करने के उपकरण या यंत्र भी टफ योजना के अंतर्गत निधि के लिए पात्र होंगे ।

(6) किसी अन्य वस्त्र मशीनरी की पात्रता जो बैंचमार्कड प्रौद्योगिकी के समान अथवा अधिक हो जो अनुलग्नकों में दर्शाई नहीं गई है या टफ योजना के प्रचालन के दौरान विकसित की गई हो, अपने आप से या संदर्भ पर विशेषत: सरकार द्वारा गठित तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा तय की जाएगी।

(7) मौजूदा इकाई या नई इकाई का प्रौद्योगिकी दृष्टि से उन्नत सुविधाओं का आकार अनिवार्य रूप से न्यूनतम लाभकर आकार (एमईएस) होना चाहिए । कॉटन रिंग कताई खण्ड के अलावा उद्योग के अन्य खंडों के लिये एमईएस कोई भी ऐसी इकाई होगी, जो वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों के वाएबिलिटी समीक्षा के अनुसार आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो । कॉटन रिंग) कताई पद्धति के लिये, सामान्यत: 25,000 तकुए एमईएस होंगे । तथापि 12,000 अथवा अधिक तकुओं वाली इकाई के लिये तथा जिसका उत्तम प्रबंधन एवं उत्तम वित्तीय निष्पादन रिकार्ड हो, नोडल अभिकरण/पीएलआई अपने निर्णय पर प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि परियोजना स्वीकृत कर सकती हैं, चाहे वह 25,000 तकुओं का लक्ष्य पूरा न करती हो, बशर्ते कि आधुनिकीकरण के बाद इकाई आर्थिक दृष्टि से सक्षम है । 12,000 से कम तकुओं वाली इकाई को 12,000 अथवा अधिक तकुओं का लक्ष्य पूरा करना अनिवार्य होगा, बशर्ते कि उसका उत्तम प्रबंधन तथा उत्तम वित्तीय निष्पादन रिकार्ड हो एवं वह अनुप्रवाह मूल्य वृद्धि कार्यकलापों में निवेश की शर्त की पूर्ति करती हो । तथापि, नई इकाई को अनुमति तभी दी जाएगी, जब उसके पास 25,000 तकुए हो एवं वह टफ योजना की अन्य शर्तों को पूरा करती हो ।

(कॉटन रिंग कताई पद्धति के अंतर्गत दिनांक 15 अक्तूबर,2004 से नई कताई के लिये न्यूनतम लाभकर आकार 12,000 तकुओं तक और मौजूदा इकाइयों के लिये 8000 तकुओं तक कम कर दिया गया है । कताई इकाइयों का न्यूनतम लाभकर आकार घटाने एवं डाउनस्ट्रीम वैल्यू ॲडीशन प्रतिबन्ध को हटाने से संबंधित अं.म.सं.स. के निर्णय से पहले, शिथिल किये गये मानकों के अनुसार आधुनिक बनाई गई इकाइयाँ, योजना के अनुसार दिनांक 21 अप्रैल,2003 तक बकाया राशि (01/4/1999 के बाद वितरित) के लिये दिनांक 21 अप्रैल,2003 से प्रौ.उ.नि. योजना के लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी । यद्यपि प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत दि.21 अप्रैल,2003 के बाद वितरित पात्र राशि पूरी तरह से समाविष्ट होगी ।)

(8) टफ योजना के अन्तर्गत रिंग तकुए और ओ.ई. रोटर्स दोनों को मिलाकर 25,000 तकुओं का न्यूनतम लाभकर आकार बनाने की अनुमति दी गई है । इसके अतिरिक्त मौजूदा कताई इकाई को अपनी क्षमता का विस्तार करना है तो विस्तारण के बाद कताई का न्यूनतम लाभकर आकार रिंग तकुओं तथा ओ.ई. रोटर्स दोनों को मिलाकर कम से कम 12,000 तकुए होना आवश्यक है, जिसमें अधिकतम 5% लोअर टॉलरन्स हो ।

(9) (i) निटिंग तथा गारमेंटिंग की सुविधा वाली नई मिश्रित इकाइयों को कताई में समकक्ष/अनुरूप क्षमता के उपकरण स्थापित करने को अनुमति प्रदान की गई है । ऐसे मामलों में कताई सुविधा के लिये न्यूनतम लाभकर आकार लागू नहीं होगी । यद्यपि वर्तमान में मौजूद निटिंग तथा गारमेंटिंग इकाइयों, जो यार्न की कैप्टिव खपत के लिये कताई इकाई स्थापित करना चाहती हैं, को प्रो.उ.नि. योजना के अन्तर्गत कॉटन रिंग कताई पद्धति के लिये 25,000 अथवा अधिक तकुओं का न्यूनतम लाभकर आकार पूरा करना आवश्यक है । तथापि, ऐसी इकाइयों के मामले में अनुप्रवाह मूल्य वृद्धि में निवेश में वर्तमान निटिंग तथा गारमेंटिंग सुविधा भी एवं अतिरिक्त इन्क्रिमेंटल क्षमता स्थापित करनी होगी ।

(ii) नई विद्युत करघा इकाइयां भी कताई में समकक्ष क्षमता स्थापित कर सकती हैं, जिन्हें कताई क्षमता के लिये न्यूनतम लाभकर आकार लागू नहीं होगा । यद्यपि वर्तमान में मौजूद विद्युत करघा इकाइयां, जो यार्न के केप्टिव खपत के लिए कताई इकाइयां स्थापित करना चाहती हैं, को प्रो.उ.नि. योजना के अन्तर्गत कॉटन रिंग कताई पद्धति के लिये 25,000 अथवा अधिक तकुओं के न्यूनतम लाभकर आकार की पूर्ति करनी होगी । यद्यपि ऐसी इकाइयों के लिए अनुप्रवाह मूल्य वृद्धि में निवेश में वर्तमान बुनाई सुविधा का भी ध्यान रखा जाएगा और केवल अतिरिक्त इन्क्रिमेन्टल क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता होगी ।

10. एक खंड के लिए पात्र मशीनरी दूसरे खण्ड/कार्याकलाप के लिये पात्र है, जब तक इसकी पात्रता किसी विशेष खण्ड के लिये विशेष रूप से प्रतिबंधित न की गई हो ।

3.3 अन्य पात्र निवेश :

1) प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये स्थापित किये जाने वाले संयंत्र तथा उपकरण के लिये अति आवश्यक निम्नलिखित निवेश भी पात्र होंगे तथा ऐसे निवेशों का कुल योग सामान्यत: ऐसे संयंत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश के 25% से अधिक नहीं होगा ।
   - क) भूमि तथा फैक्टरी बिल्डिंग, जिसमें फैक्टरी बिल्डिंग का नवीकरण तथा इलेक्ट्रिकल से संबंधित कार्य समाविष्ट है ।
   - ख) प्रारंभिक तथा प्रचालन से पूर्व के खर्च ।
   - ग) विशेष रूप से प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये आवश्यक पूँजी निवेश के लिये आवश्यक मार्जिन मनी ;
     (सभी ऐपेरल इकाइयों के लिये उपरोक्त 25% अनुबंध (Stipulation) ऐसी परियोजनाओं के लिये 50% तक बढ़ाया गया है, जिनमें 1 अप्रैल,2004 के बाद ऋण मंजूर किया गया है, अथवा पहले से मंजूर ऋण के उस हिस्से के लिये जो 1 अप्रैल 2004 तक वितरित न किया गया हो ।)

2) निम्नलिखित सुविधाओं के संस्थापन में आवश्यक उपकरणों के साथ में निवेश
   - क) ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरण ।
   - ख) (I) एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट (ई.टी.पी.)
     (ii) यदि कोई एकल इकाई या स्वतंत्र इकाई अपने स्वयं के उपयोग के लिये या उस क्षेत्र में इच्छुक वस्त्र इकाइयों के समूह के लिए एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट संस्थापित करती है, यह स्टैन्ड अलोन आधार पर प्रौ.उ.नि.यो. में समाविष्ट करने के लिये पात्र होगी ।
   - ग) कैप्टिव औद्योगिक खपत के लिये वॉटर ट्रीटमेंट प्लान्ट
   - घ) डिजाइन स्टुडियों के साथ इन हाऊस आर एण्ड डी
   - च) एन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी
   - छ) कुल गुणवत्ता नियंत्रण जिसमें उचित आईएसओ/बीआईएस मानकों को स्वीकारा गया है। प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत व्यापारिक उत्पादन के लिये अनुमोदित लैब में प्रयुक्त मशीनरी पात्र हैं ।
   - ज) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत ऋण का लाभ उठाने वाली अथवा दिनांक 23/10/2001 से स्टैन्ड अलोन आधार पर होनेवाली इकाइयों के कैप्टिव पावर प्लान्ट । स्टैन्ड अलोन आधार पर सीपीपी ऐसी वस्त्र इकाइयों में समाविष्ट होंगे, जिनके मुख्य संयंत्र प्रौ.उ.नि.यो. के मापदण्डों के अनुरूप हैं एवं प्रौ.उ.नि.यो. के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, में उनके स्टैन्ड अलोन आधार पर सीपीपी समाविष्ट हो जाएंगे । यद्यपि सीपीपी पर

23/10/2001 से पहले किया गया निवेश प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पात्र नहीं होगा ।

टिप्पणी : (I) सीपीपी का समावेश स्टैन्ड अलोन आधार पर करने से पूर्व सीपीपी में निवेश प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत संयंत्रों एवं मशीनरी में पात्र निवेश तक सीमित था। यह स्पष्ट किया गया है कि संयंत्रों एवं मशीनरी के प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्य से पहले सीपीपी के संस्थापन के मामले में, ब्याज वापसी सीपीपी के लिये ऋण वितरण की तिथि से पात्र होगी । बशर्ते कि सीपीपी के लिए ऋण वितरण से 1 वर्ष के भीतर संयंत्रों एवं मशीनरी का प्रोद्योगिकी उन्नयन पूरा हो जाना चाहिए । यदि सयंत्रों तथा मशीनों का प्रौद्योगिकी उन्नयन सीपीपी संस्थापन के एक वर्ष के बाद पूरा किया गया तो सीपीपी पर ब्याज की वापसी पूर्वप्रभावी रूप से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध होगी । ब्याज की वापसी तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक उसकी पात्रता पूरी न की गई हो अर्थात प्रौद्योगिकी उन्नयन वास्तव में पूर्ण न किया गया हो।

(ii) चूंकि स्टैन्ड अलोन आधार पर सीपीपी को पात्र संयंत्रों एवं मशीनों में कुल निवेश के प्रतिबंध के बिना अनुमति प्रदान की गई है, प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजना सहित सीपीपी के ऐसे प्रतिबंध को भी दिनांक 23 अक्तूबर,2001 से हटाया गया है । तथापि ऋणद अभिकरण द्वारा इकाई की वर्तमान एवं भविष्य में प्रत्याशित कुल ऊर्जा की आवश्यकता के निर्धारण पर सीपीपी में निवेश प्रतिबंधित होगा, ताकि घरेलू खपत सुनिश्चित की जा सके ।

(iii) स्टैन्ड अलोन सीपीपी के बंद होने की तिथि 23 अक्तूबर,2001 है तथा सीपीपी के स्टैन्ड अलोन आधार पर संस्थापन की पात्रता का निर्धारण करने के लिए सीपीपी के पहले वितरण की तिथि को ध्यान में रखा जाएगा ।

झ) स्टैन्ड अलोन आधार पर हस्क फायर्ड बॉयलर (वस्त्र आधुनिकीकरण/विस्तारण के बिना) पात्र है ।

न) विन्ड टर्बाइन : सहयोजित प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से प्राप्त पवन ऊर्जा संयंत्रों के प्रस्तावों की ब्याज वापसी करने से पहले नोडल अभिकरण निम्नलिखित मार्गदर्शक बिन्दुओं का कड़ा पालन करेगी ।

क) विन्ड टर्बाइन पर आधारित सीपीपी में निवेश ऋणदाता अभिकरण द्वारा इकाई की वर्तमान एवं भविष्य में प्रत्याशित कुल ऊर्जा की आवश्यकता के निर्धारण पर प्रतिबंधित होगा, ताकि घरेलू खपत सुनिश्चित की जा सके । प्रौ.उ.नि.यो. के सहायिकी का उपयोग आवश्यकता से अधिक क्षमता का विन्ड टर्बाइन स्थापित करने के लिये नहीं किया जा सकता । नोडल अभिकरण/प्रा.ऋ. संस्थान इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि स्वीकार्य अनुदान आवश्यक राशि के अनुसार है तथा यह एसइबी को बिजली की आपूर्ति करने के लिये पवन ऊर्जा केन्द्र स्थापन करने के लिये अनुदान नहीं होगा ।

ख) स्टैन्ड अलोन आधार पर विन्ड टर्बाइन ऐसी वस्त्र इकाइयों में समाविष्ट होंगे, जिसके मुख्य संयंत्र तथा मशीनें प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के पात्र है ।

ग) पवन ऊर्जा मिलें ऐसी जगहों पर स्थ्ांपित की जा सकती हैं, जो उचित हो एवं जहां पर्याप्त तेज हवा हो । यह आवश्यक नहीं कि वस्त्र इकाइयाँ भी उन्हीं जगहों पर स्थापित हो । नोडल अभिकरण/ प्रा.ऋ. संस्थान यह जाँच करें कि क्या पवन ऊर्जा इकाइयाँ वस्त्र इकाइयों को निरंतर बिजली की आपूर्ति कर रही हैं, यदि आपूर्ति राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) के प्रसारण तथा वितरण नेटवर्क के

माध्यम से अथवा किसी अन्य राज्य एकाधिकार मण्डल द्वारा की जा रही है। नोडल अभिकरणों/प्रा.ऋ. संस्थानों को यह भी पुष्टि कर लेनी चाहिए कि विद्युत बोर्ड की प्रसारण तथा वितरण व्यवस्था वस्त्र इकाइयों को निरंतर बिजली की आपूर्ति कर रही हैं, जो कि अनुदान मंजूर करने का मुख्य उद्देश्य है ।

घ) चूंकि पवन ऊर्जा का उत्पादन कुछ प्राकृतिक घटकों पर निर्भर है, कोई भी वस्त्र इकाई पूरी तरह से पवन ऊर्जा स्त्रोत पर निर्भर नहीं रह सकती तथा इसे डीजी सेट के माध्यम से अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की आवश्यकता होगी । नोडल अभिकरण/प्रा.ऋ. संस्थान इसे सुनिश्चित करेंगे।

च) 22 फरवरी,2005 से पवनऊर्जा इकाइयां पात्र संयंत्र और मशीनरी की सूची से हटा दी गई हैं। कट आफ तारीख निर्धारित करने का मानदंड स्वीकृति की तारीख है। बैंक द्वारा 22/02/2005 से पूर्व संस्तुत पवन मिल परियोजना इसके अंतर्गत पात्र होगी।

3. तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में निवेश, जिसमें प्रशिक्षण एवं विदेशी तकनीशियनों को पारिश्रमिक का भुगतान समाविष्ट है ।

4. इस पैरा (पैरा 3.3)के सब पैरा (1) में समाविष्ट मदों पर उपरोक्त सीमाओं से अधिक ऋण पर साधारण दर से ब्याज देय होगा ।

3.4 **औद्योगिक संघ, न्यास अथवा सहकारी संस्था द्वारा औद्योगिक समूह एवं संपदा में सामान्य आधारिक संरचनाओं या अन्य सुविधाओं में निवेश :-**

प्रौ.उ.नि. योजना में भाग लेने वाले संघ, न्यास अथवा इकाइयों की सहकारी संस्था की सामान्य आधारिक संरचनाओं में इस उद्देश्य के लिए अधिकतम सीमा तक इस निवेश में निम्नलिखित समाविष्ट हैं :-

1. जनोपयोगी सेवाएं-जैसे पानी की आपूर्ति, बिजली उप केन्द्र
2. सामान्य कैप्टिव विद्युत उत्पादन
3. कॉमन एफ्लुएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट

इसके अलावा निवेश करने पर साधारणत: चालू दर से ब्याज दिया जाएगा।

3.5 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना :-

प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के एक भाग के रूप में विद्यमान इकाई के श्रमिकों की पुनर्रचना के लिये स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना, परियोजना के एक भाग के रूप में वित्तीय सहायता के लिये पात्र होगी । तथापि निवेश के उस भाग पर ब्याज की वापसी स्वीकार्य नहीं होगी ।

3.6 प्रौ.उ.नि.योजना के अन्तर्गत बंद होने की तिथि :

क) दिनांक:01/04/1999 से पहले मंजूर किन्तु अवितरित ऋणों पर प्रौ.उ.नि.यो. के अन्तर्गत पुन: विचार किया जाएगा, यदि वे प्रौ.उ.नि.यो. के मानकों की पूर्ति करते है । ऐसे ऋणों के मामले में, जहां ऋण की कुछ राशि वितरित की गई हो, वर्तमान ऋण के मामले समाप्त करने होंगे और प्रौ.उ.नि.यो. के मापदंडों के अनुरूप निवेश का शेष हिस्सा ऋणदाता अभिकरणों द्वारा नई परियोजना के रूप में माना जाएगा । तथापि नोडल अभिकरण एवं सहयोजित प्रा.ऋ. संस्थान स्वनिर्णय से परियोजना का शेष हिस्सा औपचारिक समाप्ति के बिना विचाराधीन रख सकती है, यदि शेष परियोजना प्रौ.उ.नि.यो. के प्रौद्योगिकी मापदंडों के अनुरूप हो।

ख) यदि कोई नई मशीन अथवा उपकरण जो कि जी आर के मदों की विद्यमान

सूची में पहले से समाविष्ट बेंचमार्क्ड उपकरणों अथवा मशीनों के समकक्ष या बेहतर है, (प्रौ.उ.नि.योजना के अंतर्गत पात्र कर दी गई है, ऐसे उपकरणों के लिये) प्रौ.उ.नि.योजना के लाभ ऐसे ऋणों के मामले में बढ़ा दिये गये हैं, जो दिनांक 1/4/99 के बाद वितरित किये गये हैं। प्रौ.उ.नि.योजना के जीआर में दिये गये मापदंडों में शिथिलता के कारण किसी मशीन/उपकरण का समावेश के मामले में, ब्याज वापसी की पात्रता की तिथि केवल पूर्ति की तिथि से ही लागू होगी ।

3.7 प्रौ.उ.नि.यो. संगत परियोजनाओं में दिनांक 1/4/99 के बाद प्रौ.उ.नि.योजना के अन्तर्गत अन्य स्त्रोतों (बैंक ऋण के अलावा) से वित्तीय सहायता द्वारा किये गये निवेश :

प्रौ.उ.नि.योजना के संगत परियोजनाओं में दिनांक 1/4/99 के बाद अन्य स्त्रोतों (बैंक ऋण के अलावा) से वित्तीय सहायता द्वारा किये गये निवेश प्रौ.उ.नि.योजना में समाविष्ट किये गये हैं । ऐसी इकाइयों के समावेश के लिए सामान्य दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:

जब तक प्रौ.उ.नि.योजना की अवधि (अर्थात अन्य स्त्रोतों से प्रारंभिक वित्तीय सहायता दिनांक:1/4/1999 के बाद हो) के भीतर प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना कार्यान्वित की गई हो, तथा बैंच मार्क्ड प्रौद्योगिकी एवं अन्य पात्रता मापदंडों की पूर्ति करती हो, बशर्ते कि इकाइयों ने परियोजना में स्वयं का निवेश करने से पूर्व वित्तीय सहायता के लिये बैंक/वित्तीय संस्थानों से संपर्क किया हो, अन्य स्त्रोतों से प्रारंभिक वित्तीय सहायता लेने पर इकाई प्रौ.उ.नि.योजना के लाभों से वंचित नहीं होनी चाहिए। यदि यह यथा समय उचित आवधिक ऋण के रूप में है । तथापि **प्रौ.उ.नि.योजना के ब्याज वापसी के लाभ ऋण वितरण तक सीमित होंगे।**

3.8 अन्य योजनाओं के लाभ :-

वस्त्र/पटसन इकाइयों को प्रौ.उ.नि.योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिये अुनमति प्रदान की गई है, जब तक विशेषत: अन्यथा प्रावधान न किया गया हो । यदि संदेह हो तो संबंधित मामला स्पष्टीकरण के लिये वस्त्र आयुक्त के पास भेजा जा सकता है ।

4. <u>खंड-वार पात्रता की शर्ते :-</u>

4.1 कॉटन जिनिंग एवं प्रेसिंग

क) सामान्यतया केवल मिश्रित (कॉटन जिनिंग के साथ प्रेसिंग) इकाइयाँ योजना के अंतर्गत समावेश के लिये पात्र होंगी । तथापि स्वतंत्र जिनिंग अथवा प्रेसिंग इकाइयाँ, योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण के लिये पात्र होंगी, बशर्ते कि वे पहले या बाद में क्रमश: पात्र प्रौद्योगिकी स्तर को प्रेसिंग या जिनिंग सुविधा से जुड़ती हो ।

ख) केवल डबल रोलर जिन्स या सॉ जिन्स पात्र होंगी ।

ग) बेलिंग प्रेस मानक संशोधित बीआईएस विनिर्देशों के अनुरूप हो ।

ग) विद्यमान 2 स्तरीय मैन्युअल बेल प्रेसिंग मशीन वाली इकाई को

प्रौ.उ.नि.योजना के अनुसार आधुनिकीकरण करते समय, इसे बदलने को बाध्य नहीं किया जाएगा । यद्यपि बेल प्रेसिंग मशीन बदलने वाली अथवा पहली बार बेल प्रेसिंग मशीन स्थापित करने वालीइकाई को केवल सिंगल स्टेज स्वचालित बेल प्रेसिंग मशीन स्थापित करनी होगी ।

घ) सरकार ने यह तय किया है कि जब कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग इकाइयाँ प्रस्तावित "रुई प्रौद्योगिकी अभियान (टी एम सी)" के अंतर्गत रियायती दर पर वित्तीय सहायता के लिये पात्र होगी, ऐसी इकाइयां प्रौ.उ.नि.योजना के अंतर्गत पात्र नहीं रह जाएंगी, जो दिनांक 1/4/1999 से प्रचलन में है । चूंकि जिनिंग एवं प्रेसिंग इकाइयां टी एम सी के अंतर्गत दिनांक 17 जनवरी, 2000 के पत्र सं.1/सीएम/2000(I) द्वारा रियायती दर पर वित्तीय

सहायता के लिये पात्र हो गई हैं, उसी दिन से ये इकाइयाँ प्रौ.उ.नि.योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं रह गयी हैं । तथापि टीएमसी के अनुमोदन से पहले प्राप्त आवेदनों पर प्रो.उ.नि. योजना के अंन्तर्गत साधारण रूप से कार्रवाई की गई थी ।

छ) दिनांक 25/7/2001 से कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग इकाइयों का समावेश योजना में इस शर्त पर फिर से कर दिया गया है कि कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग इकाई या तो प्रौ.उ.नि.योजना के अंतर्गत या टी एम सी के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती है, किन्तु दोनों के अंतर्गत नहीं ।

4.2 <u>कताई/सिल्क रीलिंग तथा ट्विस्टिंग/वूल स्काउरिंग तथा कोम्बींग/सिन्थेटिक फिलामेंट यार्न टेक्स्चराइजिंग, क्रिम्पिंग तथा ट्विस्टिंग :</u>

(क) कॉटन रिंग कताई पद्धति :

(i) कॉटन रिंग कताई पद्धति में, प्रौद्योगिकी उन्नयन द्वारा केवल वर्तमान अप्रचालित तकुओं के आधुनिकीकरण को अनुमति दी गई है । बदले हुए पुराने तथा अप्रचलित तकुए सामान्यत: निकाल दिये जाए तथा पूरी तरह से अकार्यक्षम बनाये जाए, जब तक उनका प्रचालन व्यवहार्य सिद्ध हो।

(टिप्पणी:15 वर्ष से पुराने रिंग फ्रेम्स तथा 20 वर्ष पुरानी बैक अप मशीनरी/उपकरण निरपवाद रूप से निकाले जाए)

(ii) (क) नई इकाई या वर्तमान इकाई की क्षमता में विस्तारण को तब अनुमति दी जाएगी, जब यार्न प्रोसेसिंग अथवा वीवींग प्रिपरेटरी तथा/अथपा वीवींग/निटिंग तथा/अथवा सिलाई धागे के उत्पादन में अनुप्रवाह अनुरूप क्षमता में भी निवेश किया जाए, जो कि साथ-साथ संस्थापित होना अनिवार्य है: बशर्ते कि वर्तमान कताई इकाई, जो अपनी क्षमता 12,000 या अधिक तकुओं तक किन्तु 25,000 तकुओं से अधिक नहीं, तक बढ़ाना चाहती है तो उसे विस्तारित कताई क्षमता के 50% से अनुरूप अनुप्रवाह अनुमत उत्पादन क्षमता संस्थापित करनी होगी । (वर्तमान इकाई की अनुप्रवाह मूल्य वृद्धि यार्न के वास्तविक उत्पादन के आधार पर निकाली जाए । इकाइयों द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय को जमा किये जाने वाले मासिक उत्पादन विवरण संबंधित इकाई द्वारा यार्न के वास्तविक काउन्ट के उत्पादन का आधार होगा।)

ख) यार्न प्रोसेसिंग की पात्र अनुप्रवाह मूल्य वृद्धि कार्यकलाप के रूप में पात्रता निम्नलिखित सीमा तक होगी :

यार्न के वेट प्रोसेसिंग के साथ यार्न सिन्जिंग यथा, ब्लीचिंग /मर्सराइजिंग/डाईंग (कोन/हैंक डाईंग)/यार्न प्रिटिंग;

अथवा

उपरिल्लिखित वेट प्रोसेसिंग क्रियाओं में से एक या उससे अधिक क्रिया के साथ कोन वाइंडिंग/डबलिंग/फैन्सी डबलिंग

अथवा

उपरिल्लिखित वेट प्रोसेसिंग क्रियाओं में से एक या उससे अधिक क्रिया एवं डबनिंग/फैन्सी डबलिंग, सिजिंग

अथवा

यार्न साइजिंग तथा वार्पिंग

(कॉटन रिंग कताई पद्धति के अंतर्गत कताई इकाइयों के लिये अनुप्रवाह मूल्य वृद्धि की शर्त को दिनांक 15 अक्तूबर,2004 से हटाया गया है। जिन इकाइयों कताई इकाइयों के न्यूनतम लाभ कर आकार कम करने एवं अनुप्रवाह मूल्य वृद्धि की शर्त को हटाने से संबंधित अं.मं.सं.स. के निर्णय से पूर्व, शिथिल किये गये

मापदंडों के अनुसार अपनी इकाइयों को आधुनिक बनाया है, वे दिनांक 21 अप्रैल,2003 को योजना के अनुसार (01/04/1999 के बाद वितरित) दिनांक 21 अप्रैल,2003 तक बकाया राशि के लिए पात्र होंगे यद्यपि 21 अप्रैल,2003 के पश्चात वितरित पात्र राशि प्रौ.उ.नि. यो. के अंतर्गत पूरी तरह पात्र होगी ।

ग) प्रो.उ.नि. योजना के अन्तर्गत कताई क्षमता के विस्तारण के लिये पात्र मूल्य वृद्धि प्रक्रिया के रूप में अनुरूप नई फाइबर डाइंग क्षमता का संस्थापन। तथापि वर्तमान फाइबर डाइंग क्षमता मूल्य वृद्धि प्रक्रिया के रूप में मानी नहीं जाएगी ।

ध) कॉटन रिंग कताई इकाइयों को रूकावटे कम करने के लिए तकुओं में वृद्धि किये बिना बैक-अप सुविधाओं को संस्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है यथा, कोन वाइंडिंग मशीन, कार्डस, ड्रॉ फ्रेम, स्पीड फ्रेम, ब्लोरूम आदि, बशर्ते कि इकाई एमईएस स्तर पर या उससे अधिक हो, आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो और ऐसे निवेश इकाई को वांछित बेंचमार्क प्रौद्योगिकी स्तर तक लाते हैं ।

च) सुधार के लिये रूपान्तरण के रूप में रिंग फ्रेम के लिये ऑटो डॉफर पद्धति
योजना के अंतर्गत समाविष्ट की गई है, जो नई अथवा वर्तमान फ्रेम के रूप में रूपान्तरित/संस्थापित की जा सकती है, चाहे वह किसी भी बनावट/उत्पादक का हो ।

छ) 12,000 से 25,000 तकुओं तक क्षमता बढ़ाने वाली कताई इकाइयों के
लिये अनुप्रवाह मूल्य वृद्धि की शर्त को दिनांक 29/04/2004 के बाद स्वीकृत ऋण के पहले एक सौ मामलों के लिये हटाया गया है ।

(iii) नई क्षमता स्थापित करने या विद्यमान रिंग फ्रेमों के आधुनिकीकरण/परिवर्तन के लिये कॉम्पेक्ट कताई मशीन के संस्थापन को अनुमति दी गई है । कॉम्पेक्ट यार्न के उत्पादन के लिये संस्थापित वर्तमान तथा नई इकाइयों को प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत न्यूनतम आर्थिक आकार एवं अनुप्रवाह मूल्य वृद्धि मापदंडों की शर्त से छूट दी गई है । वर्तमान ड्राफ्टिंग पद्धति को कॉम्पेक्ट कताई ड्राफ्टिंग पद्धति में परिवर्तित करके वर्तमान रिंग फ्रेमों के स्वस्थाने उन्नयन को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है ।

(iv) टू फोल्ड ट्विस्टेड यार्न के उत्पादन के लिए स्टैन्ड अलोन आधार पर यार्न प्रोसेसिंग संयन्त्र के स्पिनिंग/ट्विस्टिंग के पश्चात की क्रिया अथवा यार्न कताई इकाई को भेजे बिना यार्न को झुलसाना समाविष्ट है ।

ख) ओपन एन्ड/ड्रेफ/पैराफिल/सेलफिल/एअरजेट कताई पद्धति :
ये कताई पद्धतियाँ सब मिलाकर यार्न तैयार करने की विशिष्ट पद्धतियाँ हैं,
आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तारण अथवा नई इकाइयों को अनुमति दी जाएगी।

ग) वर्स्टेड कताई पद्धति :

(i) वर्तमान क्षमता का प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा विस्तारण/समुचित पात्र प्रौद्योगिकी वाली नई इकाई को अनुमति दी जाएगी।

(ii) स्वतंत्र ऊन स्काउरिंग तथा कोम्बिंग इकाइयां भी प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिये पात्र होगी।

घ) वूलन/शॉडी कताई पद्धति :

(i) कताई की वूलन पद्धति में कताई की सेमी-वर्स्टेड पद्धति समाविष्ट है ।

(ii) वर्तमान इकाइयों का प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता विस्तारण/इस क्षेत्र में समुचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों को अनुमति दी जाएगी ।

च) सिल्क रींलिंग तथा ट्विस्टिंग :

(i) वर्तमान क्षमता में प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा विस्तारण/समुचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों को अनुमति दी जाएगी ।

(ii) बदली हुई अप्रचलित रीलिंग/टिवस्टिंग मशीनरी साधारणत: हटाई जाए, जब तक उनका प्रचलन व्यवहार्य सिद्ध न हो ।

छ) सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्सचराइजिंग, क्रिम्पिंग तथा ट्विस्टिंग :

वर्तमान अप्रचलित मशीनरी को बदलना, क्षमता विस्तारण अथवा उचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों के संस्थापन को अनुमति दी जाएगी ।

4.3 विस्कोज फिलामेंट यार्न :

i) वर्तमान अप्रचलित मशीनरी को बदलना, क्षमता विस्तारण अथवा उचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों के संस्थापन को अनुमति दी जाएगी ।

ii) बदली गई अप्रचलित रीलिंग/टिवस्टिंग मशीनरी साधारणत: हटाई जाए, जब तक उनका प्रचलन व्यवहार्य सिद्ध न हो ।

4.4 वीविंग, निटिंग तथा नॉन-वूवन/तकनीकी वस्त्र/फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी उत्पादन करने वाली इकाइयाँ :-

क) I गैर ऊनी वीविंग इकाइयों के लिये आवश्यक :

(i) न्यूनतम आर्थिक आकार के अनुरूप समुचित करघे तथा मशीने

(ii) वर्तमान इकाई के प्रौद्योगिकी उन्नयन के मामले में बदले हुए पुराने तथा अप्रचलित करघे सामान्यत: निकाल दिये जाए तथा पूरी तरह से अकार्यक्षम बनाये जाए जब तक उनका प्रचलन व्यवहार्य सिद्ध न हो ।

II विकेन्द्रित (लघु उद्योग) वीविंग क्षेत्र :

1. साधारण करघे का अर्ध स्वचालित शटल लूम में स्वस्थाने उन्नयन जिसमें अतिरिक्त विशेषताएं जैसे वेफ्ट स्टॉप मोशन, वार्प स्टॉप मोशन, पॉजिटिव/सेमी-पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन, डॉबी जेक्वार्ड के साथ अथवा उसके बिना, को विकेन्द्रित विद्युतकरघा क्षेत्र के लिये अनुमति दी गई है ।

2. साधारण करघे को बैंचमार्क्ड प्रौद्योगिकी विशेषताओं वाले अर्ध स्वचालित शटल करघे से प्रतिस्थापन को अनुमति दी गई है ।

3. विकेन्द्रित विद्युत करघा क्षेत्र में स्थित नई इकाइयों को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत बैंचमार्क्ड प्रौद्योगिकी विशेषताओं वाले अर्ध-स्वचालित करघों को संस्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है ।

III हथकरघा वीविंग :

1. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर समय समय पर संशोधित एवं

विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों को अनुमति देने वाले जी आर में पहले से विनिर्दिष्ट सभी मशीनों के लिये प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के सभी लाभ प्राप्त करने के लिये हथकरघा क्षेत्र पात्र है । हथकरघा क्षेत्र में केवल वीविंग कार्य विद्युत करघा तथा मिल क्षेत्र से अलग है, जबकि अन्य कार्य, विशेषत: प्रोसेसिंग समान है ।

2. बैंचमार्कड प्रौद्योगिकी में विनिर्दिष्ट बिजली के बिना चलाये जाने वाले हथकरघों को समाविष्ट किया गया है ।

ख) वूलन इकाइयों के लिये आवश्यक :

(i) न्यूनतम लाभ कर आकार के अनुरूप समुचित करघे तथा मशीनें ।

(ii) कम से कम वीविंग क्षमता के अनुरूप इन हाउस वीविंग प्रिपरेटरी (लघु उद्योग इकाइयों के मामले में वीविंग प्रिपरेटरी आवश्यक नहीं) ।

(iii) वर्तमान इकाई के प्रौद्योगिकी उन्नयन के मामले में बदले हुए पुराने तथा अप्रचलित करघे सामान्यत: निकाल दिये जाए तथा पूरी तरह से अकार्यक्षम बनाये जाए, जब तक उनका प्रचालन व्यवहार्य सिद्ध न हो ।

ग) स्वतंत्र वीविंग प्रिपरेटरी इकाइयां :

स्वतंत्र लघु उद्योग/गैर लघु उद्योग (ऊनी अथवा गैर ऊनी) वीविंग प्रिपरेटरी इकाई परिशिष्ट डी-1 में विनिर्दिष्ट वीविंग प्रिपरेटरी मशीन संस्थापित करेगी ।

घ) निटिंग इकाइयाँ : जैसे कि परिशिष्ट डी-1 में दी गई है ।

च) नॉन-वूवन्स/तकनीकी वस्त्र उत्पादक इकाइयाँ :

छेद वाली सूई/टेक्निकल फिल्टर्स/ब्लैंकेटस/फ्लोर कवरिंग/ऑटोमोटिव कारपेट्स/जिओ टेक्सटाइल्स/ सिंथेटिक अथवा लेदर नॉन वूवन्स तथा परिशिष्ट-डी-2 में दर्शाई गई सूची के अनुसार अन्य नॉन-वूवन्स तथा तकनीकी वस्त्र निर्माण करने के लिए आवश्यक मशीन प्रौ.उ.नि. योजना के अंदर समावेश करने के लिये पात्र है ।

4.5 गारमेंट/मेड अप उत्पादन :

क) वूवन्स तथा/अथवा निटेड गारमेन्ट तथा/अथवा मेड अप विनिर्माण अथवा उनका संयुक्त रूप पात्र होगा।

ख) (परिशिष्ट-ई पर दर्शाई गई सूची में से) गारमेन्ट / मेड अप विनिर्माण तथा अन्य अतिरिक्त उपकरण संस्थापित करना आवश्यक है ।

4.6 फाइबर/यार्न/फैब्रिक्स/गारमेन्टस/मेड अप का प्रोसेसिंग

क) फाइबर/यार्न/फैब्रिक्स/गारमेन्टस/मेड अप का प्रोसेसिंग तथा फिनिशिंग के लिये परिशिष्ट-एफ (1 से 4) में दिखाए गए आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों सहित प्रोसेसिंग मशीनरी पात्र होगी ।

ख) परिशिष्ट एफ (1 से 4) में दिखाए गए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण यथावश्यक, भी संस्थापित किये जाने आवश्यक हैं ।

ग) परिशिष्ट-एफ (1 से 4) पर दिखाई गई वस्तुएं तथा अन्य मशीनें उद्यमी की इच्छानुसार, यदि आवश्यक हो तो संस्थापित की जा सकती हैं ।

4.7 पटसन वस्त्र :-

क) पटसन सॉफ्टनिंग एवं कार्डिंग, ड्राइंग, कताई तथा बुनाई :

(i) परिशिष्ट -जी में दिखाई गई पात्र प्रौद्योगिकी की नई मशीनों को अनुमति दी जाएगी ।

(ii) अधिक से अधिक 10 वर्ष पुरानी (विन्टेज) तथा कम से कम 10 वर्ष की अवशिष्ट अवधि की पात्र प्रौद्योगिकी की सेकंड हैंड मशीनों का आयात भी पैरा 3.2 के अंतर्गत निहित शर्तों के आधार पर मान्य होगा।

ख) पटसन सम्मिश्रणों की कताई तथा वीविंग/निटिंग :

(i) पटसन सम्मिश्रणों की कताई करने वाली इकाइयों की पात्रता शर्तें रुई कताई के समान होंगी, जो कि पैरा 4.2 में स्पष्ट की गई हैं ।

(ii) पटसन सम्मिश्रित फैब्रिक्स की वीविंग/निटिंग करने वाली इकाइयों की पात्रता शर्तें नॉन-वूलन वीविंग तथा निटिंग के समान होंगी, जो कि पैरा 4.4 में स्पष्ट की गई हैं ।

ग) पटसन सम्मिश्रित गारमेंट / मेड अप उत्पादन :

पटसन सम्मिश्रित गारमेंट तथा/अथवा मेड अप्स का उत्पादन करने वाली इकाइयों की पात्रता शर्तें गैर-पटसन गारमेंट/मेड अप उत्पादन के समान होंगी, जो कि पैरा 4.5 में दर्शाई गई है ।

घ) पटसन उत्पादों का प्रोसेसिंग :

(i) परिशिष्ट -जी में दर्शाई गई प्रोसेसिंग मशीनें पात्र है ।

(ii) प्रौ.उ.नि. योजना के लिये पात्र गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण भी पात्र होंगे, जो परिशिष्ट -जी में दिखए गए हैं ।

च) पटसन सम्मिश्रित उत्पादों की प्रोसेसिंग :

पात्रता शर्तें गैर - पटसन वस्त्र उत्पादों की प्रोसेसिंग के समान होंगी, जो कि पैरा 4.6 में दर्शाई गई हैं ।

छ) सामग्री संचालन :

सामग्री संचालन के लिये मशीनरी जो कि परिशिष्ट जी में दर्शाई गई है, पटसन इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिये आवश्यक है ।

5. पात्रता की व्याख्या :

(1) सरकार ने एक तकनीकी सलाहकार समिति (टी ए सी) गठित की है, जिसमें वस्त्र आयुक्त (संयोजक), पटसन आयुक्त एवं वस्त्र अनुसंधान संघों (टी आर ए) के तकनीकी विशेषज्ञों एवं वस्त्र उद्योग तथा शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न भाग, इसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं ।

(2) यदि नोडल अभिकरण द्वारा इस योजना के अंतर्गत किसी इकाई या मशीन की पात्रता के बारे में व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण पूछा जाता है, इसके लिये नियुक्त तकनीकी सलाहकार समिति की राय प्राप्त की जाएगी ।

(3) चूंकि टी ए सी की भूमिका में विस्तार हुआ है और यह योजना के कार्य पर देख-रेख भी करती है तथा इसका पुनः नामकरण "तकनीकी सलाहकार-सह-देख-रेख समिति" (टी ए एम सी) किया गया है ।

III योजना के अन्तर्गत ऋण

1. प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों तथा अनुबंधों के आधार पर ऋण उपलब्ध किये जाएंगे ।

क) योजना की अवधि :

यह योजना 1/4/1999 से 31/3/2004 तक पांच वर्षों के लिये प्रचलन में रहेगी । उसके बाद 31/3/2007 तक बढ़ाई गई है । ऋणदाता अभिकरण द्वारा योजना की अवधि की अंतिम तिथि तक स्वीकृत ऋण योजना के अंतर्गत पात्र होंगे तथा नोडल अभिकरण द्वारा साधारण ऋण अवधि के अनुसार ब्याज की वापसी, पूरा भुगतान होने तक चालू रहेगी ।

ख) ऋण की राशि :

आवश्यकता के आधार पर सहायता दी जाएगी । वैयक्तिक ऋण के लिये कोई अधिकतम अथवा न्यूनतम सीमा नहीं होगी ।

ग) समर्थकों का अंशदान :

ऋणदाता अभिकरण द्वारा विद्यमान सामान्य मापदंडों के आधार पर तय किये जाएंगे ।

घ) ब्याज दर :

(i) **रुपयों में ऋण :**

संबंधित कर्जदार को प्रभारित ब्याज की प्रभावी दर, वित्तीय संस्थानों तथा बैंको द्वारा प्रभारित किये जाने वाले प्रचलित दरों से 5 प्रतिशत पॉइन्ट से कम होगी, वस्त्र मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत 5 प्रतिशत पॉइन्ट वापस करेगा ।

(ii) विदेशी मुद्रा में ऋण :

जैसा कि साधारण विदेशी मुद्रा ऋण के लिये लागू है । तथापि योजना के अंतर्गत विनिमय दर के उतार-चढाव के लिये प्रति वर्ष 5% (से अधिक नहीं) तक की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी ।

(iii) ब्याज वापसी की अवधि :

क. (1) 5% की ब्याज वापसी तथा/अथवा विनिमय दर उतार-चढाव के लिये 5% प्रतिवर्ष तक सुरक्षा ऋण की अवधि के दौरान उपलब्ध होगी, जैसा कि "आशय पत्र" में अथवा ऋण संबंधी दस्तावेजों में स्पष्ट किया गया है कि प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत ब्याज वापसी किसी भी बढ़ाई गई/पुनः निर्धारित ऋण वापसी की अवधि, जो कि दो वर्ष विलंबन अवधि सहित 10 वर्ष की अधिकतम अवधि से अधिक न हो, के दौरान निरंतर उपलब्ध कराई जाती रहेगी, यदि ऐसा पुनः निर्धारण संबंधित नोडल अभिकरणों/ सहयोजित अभिकरणों द्वारा स्वीकार किया गया हो।

2 ब्याज वापसी बंद की जाएगी, यदि कर्जदार दो तिमाहियों के ऋण का पुनः भुगतान करने में असमर्थ रहा हो । तथापि यदि ऋण का पुनः भुगतान किया जाता है और पहली गलती से 6 तिमाहियों के भीतर इसे सुधारा जाता है, तब ब्याज की वापसी पुनः शुरू की जाएगी, जिसमें चूक की अवधि की राशि भी समाविष्ट होगी ।

3 पुनः भुगतान की अवधि ऋणद अभिकरणों तथा वस्त्र इकाइयों द्वारा तय की जानी है । यद्यपि बैंक 10 वर्ष से अधिक के लिये ऋण देने कि लिये स्वतंत्र हैं किन्तु आर्थिक सहायता अधिकतम 2 वर्षों के विलंबन काल सहित केवल 10 वर्ष की अवधि तक ही प्राप्त होगी ।

ख) यदि खाता असक्रिय आस्ति (एमपीए) बन जाता है, ब्याज वापसी उपलब्ध नहीं होगी । ब्याज वापसी एनपीए श्रेणी से बाहर आने की

तिथि से उपलब्ध होगा । गैर-चूककर्ता पुनः निर्धारित मामलों में ब्याज वापसी मूल्य पुनः भुगतान निर्धारण के अनुसार होगा ।

च) अन्य शर्तें यथा ऋण की अवधि, सुरक्षा, परिवर्तन विकल्प, ऋण साम्या अनुपात आदि :

पात्र इकाइयाँ न्यूनतम लाभकर आकार की होंगी । अन्य शर्तें ऋणदाता अभिकरण द्वारा निर्धारित, विद्यमान साधारण मानकों के अनुसार होंगी।

छ) निरंतर लाभ अर्जित करने के लिये वित्तीय मानक :

नोडल अभिकरण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी इकाइयों के लिये निरंतर लाभ अर्जित करने से संबंधित मानकों को शिथिल किया है, जिनका अच्छा ट्रेक रिकार्ड हो, आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो, सकारात्मक नेटवर्थ हो, इसके बावजूद कि उनको पिछले तीन वर्षों में से एक अथवा अधिक वर्षों में हानि हुई हो ।

ज) आकस्मिकता के लिये प्रबंध :

(वास्तविक आधार पर) अधिकतम 5% तक आकस्मिकता के लिये प्रबंध (अनिश्चित लागत) प्रौ. उ.नि. योजना के अंतर्गत पात्र संयन्त्र तथा मशीनों एवं अन्य निवेशों के संदर्भ में प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत समाविष्ट है ।

झ) सहायता-संकाय बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण के लिये प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत सहायता, जब सहायता-संकाय की कुछ बैंक नोडल अभिकरणों द्वारा सहयोजित नहीं हैं ।

सहायता-संकाय द्वारा वित्तीय सहायता के मामले में, समग्र परियोजना प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत समाविष्ट की जानी है, इसके बावजूद कि कुछ सहायता-संकाय वित्तीय संस्थान/बैंक नोडल अभिकरण द्वारा सहयोजित नहीं है । ऐसे मामलों में नोडल अभिकरणों को ब्याज वापसी का दावा असहयोजित बैंकों द्वारा वितरित ऋण से संबंधित दावे सहित, सहयोजित बैंक के माध्यम से भेजा जाए । सहयोजित बैंक यह सुनिश्चित करेंगी कि परियोजना प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत निहित प्रौद्योगिकी एवं अन्य मानकों की पूर्ति करती है ।

ट) एक बैंक/वित्तीय संस्थान से दूसरे बैंक /वित्तीय संस्थान में प्रौ.उ.नि.यो. ऋण अंतरित करना उसी तरह प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत एक आवधिक ऋण खाता बंद करना तथा नया आवधिक ऋण प्राप्त करना ।

प्रौ.उ.नि. योजना ऋण खाते की बकाया मूल राशि को एक बैंक/वित्तीय संस्थान से दूसरी बैंक/वित्तीय संस्थान में अंतरित की जा सकती है, बशर्ते कि पोर्टफोलियो(अर्थात् शेष मूल राशि) में कोई परिवर्तन नहीं होगा और कुल पुनः भुगतान अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी । यद्यपि, यह सुविधा एक परियोजना के लिये केवल एक बार प्रदान की जाएगी ।

ठ) रुपयों में आवधिक ऋण से विदेशी मुद्रा ऋण में तथा विलोमत परिवर्तन :

वार्षिक आधार पर रुपयों में आवधिक ऋण के विदेशी मुद्रा ऋण में तथा विलोमतः परिवर्तन को प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत अनुमति दी गई है । विनिमय का आधार दर वह होगा, जो रुपयों में आवधिक ऋण के विदेशी मुद्रा ऋण में परिवर्तन की तारीख में प्रचलित था । ऋण राशि की अवधि 10 वर्ष की पुनः भुगतान अवधि एवं ऋणद अभिकरण से विदेशी मुद्रा में ऋण की उपलब्धता के अधीन समान रहेगी ।

ड) रुपयों में देयता के लिये विदेशी मुद्रा ऋण :

प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत रुपयों में देयता के लिये भी विदेशी मुद्रा ऋण लेने को अनुमति दी गई है ।

ढ) वायदा किस्त का समावेश :

प्रौ.उ.नि. योजना के विदेशी मुद्रा ऋण के लिये वायदा सुरक्षा किस्त की विकल्प के रूप में विनिमय के आधार दर पर प्रति वर्ष 5% तक सीमित लागत समाविष्ट की गई है, जिसका उपयोग परियोजना के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार किया जाए ।

ण) अ-परिवर्तनीय ऋण पत्र का समावेश :

नोडल अभिकरण/सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा खरीदे गये अ-परिवर्तनीय ऋणपत्र, यदि वे प्रौ.उ.नि. योजना के मानकों के अंतर्गत आते हैं, का समावेश योजना में किया गया है । नोडल अभिकरण/सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा खरीदे गये एवं प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत समाविष्ट अ-परिवर्तनीय ऋणपत्रों का अन्य नोडल अभिकरण/सहयोजित प्रा.ऋ.सं. में अंतरण ऋणपत्र की समग्र अवधि में एक बार करने को अनुमति दी गई है । तथापि नोडल अभिकरणों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि अपरिवर्तनीय ऋणपत्र नोडल अभिकरणों/सहयोजित प्रा.ऋ.संस्थानों को अंतरित हुए हों एवं बाजार में अन्य निवेशकों को अंतरित अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों को ब्याज वापसी नहीं दी जाएगी ।

त) पट्टे पर वित्तीय सहायता का समावेश :

विनिर्माताओं द्वारा नोडल अभिकरणों/सहयोजित प्रा.ऋ. संस्थानों से ली गई वित्तीय सहायता का ब्याज का हिस्सा पात्र मशीनों तथा उपकरणों के लिये प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है । पट्टे पर वित्तीय सहायता का समावेश पट्टे पर वित्तीय सहायता के सामान्य मापदंडों की शर्त पर होगा किन्तु पट्टा अवधि 10 वर्ष तक सीमित होगी ।

थ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (रा.ल.उ.नि.) लि. की हायर पर्चेस स्कीम का समावेश :

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (रा.ल.उ.नि.) लि. की हायर पर्चेस स्कीम के ब्याज के हिस्से का समावेश प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत किया गया है, बशर्ते कि इकाइयां योजना के अंतर्गत निहित प्रौद्योगिकी तथा अन्य पात्र प्राचलों की पूर्ति करती हो ।

द) सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा स्वनिर्धारित मापदंडों के आधार पर प्रौ.उ.नि. योजना के प्रौद्योगिकी मानकों को प्रभावित किये बिना मंजूर ऋण के लिये नोडल अभिकरण का अनुमोदन :

प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत परियोजनाओं, जो सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा स्वनिर्धारित मापदंडों के आधार पर एवं प्रौ.उ.नि. योजना के प्रौद्योगिकी मानकों के अनुसार हो, को नोडल अभिकरणों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए ।

ध) प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर किन्तु संभाव्य सक्षम वस्त्र तथा पटसन इकाइयों का समावेश :

वस्त्र तथा पटसन इकाइयों के लिए प्रस्तावों की पुनर्संरचना करते समय वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों द्वारा नकद लाभ के लिये मापदंडों का शिथिलीकरण, समर्थकों का मार्जिन, ऋण साम्या अनुपात तथा आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाए ।

न) यार्न आपूर्तिकर्ता/कुशल बुनकर द्वारा दी गई सह-गारंटी :

ऐसे यार्न आपूर्तिकर्ता/कुशल बुनकर जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो एवं जो बैंक के मापदंडों की पूर्ति करता हो, द्वारा दी गई सह-गारंटी के बल पर लघु उद्योग विद्युत करघा इकाइयों को प्रौ.उ.नि. योजना ऋण की मंजूरी देने का निर्णय वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा लिया जाना है । तथापि यदि ऐसे मामलों में वित्तीय संस्थान/बैंकों द्वारा आवधिक ऋण/वित्तीय सहायता दी जाती है तो ऐसी इकाइयों को अनुमोदित मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार प्रौ.उ.नि. योजना के लाभ प्राप्त होंगे ।

प) बैंक/वित्तीय संस्थान, जिन्होंने 5% ब्याज वापसी के लिये पात्र वस्त्र इकाइयों को अग्रिम ऋण दिया है, 5% ब्याज वापसी के बिना ऋण का पुन: भुगतान स्वीकार करेंगी यदि ऋण का पुन: भुगतान निर्धारित तिथि के अंदर किया गया हो, जो यह नोडल अभिकरण से प्राप्त करेंगी । तथापि, वापस की गई राशि पर बैंक/वित्तीय संस्थान इकाई पर चालू दर से ब्याज प्रभावित कर सकती है, जब तक यह नोडल अभिकरण से प्राप्त नहीं होती ।

फ. विलंबित भुगतान गारंटी (डीपीजी) योजना - परिचालन के लिये मार्गदर्शक बिन्दु :

(i) केवल रुपयों में ऋण के मामले में डीपीजी का समावेश प्रौ.उ.नि. योजना में 23 मार्च 2002 से किया गया है ।

(ii) डीपीजी के अंतर्गत सहायता में मुख्य उपकरण तथा ऐसे मामले, जिनमें डीपीजी एवं साधारण आवधिक ऋण दोनों एक ही परियोजना में समाविष्ट है, भी समाविष्ट होंगे । तथापि सभी मामलों में परियोजना अपने-आपमें प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत निहित प्रौद्योगिकी एवं अन्य पात्रता मापदंडो की पूर्ति करती हो ।

(iii) विशेष रूप से डीपीजी के अंतर्गत आने वाले उपकरणों के मामले में मार्जिन मनी, प्रौ.उ.नि. योजना ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के उद्देश्य के लिये 20% मानी जाएगी । तथापि, ऐसे मामलों में जहां डीपीजी तथा आवधिक ऋण दोनों समाविष्ट हैं, मार्जिन मनी डीपीजी घटकों को छोड़कर बाकी परियोजना लागत के आधार पर ली जाए ।

(iv) विलंबित भुगतान की अवधि बिलों / वचन पत्रों के कार्यान्वयन की तिथि से होगी तथा विलंबन अवधि, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, को मिलाकर 7 वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

(v) प्रौउनियो के अंतर्गत केवल रुपयों में ऋण समाविष्ट होगा तथा क्रेता बैंक, जो गारंटी दे रही है, प्रौउनियों के अंतर्गत सहयोजित होनी चाहिए ।

(vi) देशी/आयातित मशीनें खरीदने के लिए इच्छुक खरीददार/प्रयोक्ता, जो तुरंत पूरा नकद भुगतान नहीं कर सकता, मशीनरी विनिर्माता / विदेशी आपूर्तिकर्ता का स्थानीय एजेंट से विलंबित भुगतान की सुविधा के लिए संपर्क करेगा । विनिर्माता-विक्रेता प्रत्येक किस्त के लिए / विलंबित किस्तों पर देय ब्याज सहित अलग-अलग मियाद बिल/वचन पत्र तैयार करेगा ।

(vii) विक्रेता द्वारा दिए गए बिलों को खरीददार/प्रयोक्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा खरीददार/प्रयोक्ता के बैंक द्वारा उनकी गारंटी दी जाएगी । दूसरे शब्दों में यह बिल खरीददार/प्रयोक्ता द्वारा आहरित किए गए हैं और उसके बैंक द्वारा उसकी गारंटी दी गयी है ।

(viii) ये बिल/वचन पत्र बाद में मशीनों की लागत की वसूली के लिए विक्रेता को भेजे जाएंगे, जो उसके बैंक से उस पर डिस्काउंट देगा, उसके द्वारा उसके बैंक को दिये जाने वाला डिस्काउंट बिल की राशि में, विलंबित भुगतान की अवधि के लिए ब्याज के रूप में समाविष्ट है ।

(ix) क्रेता बैंक क्रेता के खाते से विशिष्ट तिथियों को मूल राशि एवं विलंबित भुगतान पर ब्याज सहित बिल का पूर्ण अंकित मूल्य आहरित करके बिलों को अलग कर देगी । नोडल अभिकरण से 5% ब्याज वापसी के पश्चात्, वापस की गई राशि क्रेता बैंक द्वारा क्रेता को वापस दी जाएगी ।

(x) प्रौउनियो के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात्, क्रेता बैंक ब्याज वापसी के लिए संबंधित नोडल अभिकरणों से संपर्क करेगी । क्रेता बैंक को पूरा विवरण तैयार करना होगा । जैसे उपकरणों का इनवॉइस मूल्य, डिस्काउंट की दर (%), प्रत्येक बिल की मियाद अवधि (महीने), आवर्तन तथा समग्र पुनः भुगतान अवधि के मुख्य घटकों का विवरण देते हुए समग्र पुनः भुगतान सूची ।

(ब) <u>15% की दर पर सीएलसीएस-प्रौउनियो</u> :-

(i) प्रस्तावित विकल्प लघु उद्योग वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के सभी खंडों तक विस्तारित होगा जो पहले से प्रौउनियो में समाविष्ट है ।

(ii) सीएलसीएस-प्रौउनियो 1 जनवरी 2002 से 31 मार्च 2007 तक प्रचालन में रहेगी । नोडल अभिकरणों/सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा योजना अवधि की अंतिम तिथि तक मंजूर ऋण 12% पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। 13 जनवरी, 2005 से आर्थिक सहायता 15% गई है। यद्यपि यह 13 जनवरी,2005 से पहले मंजूर प्रस्तावों के लिए भी उपलब्ध होगा, किन्तु जहां वितरण 13 जनवरी 2005 से पहले स्वीकृत मामलों को 13 जनवरी,2005 को अथवा उसके बाद किये गये वितरण पर भी उपलब्ध होगा, जहाँ 13 जनवरी,2005 से पहले ही आंशिक भुगतान किया जा चुका है।

(iii) सीएलसीएस-प्रौउनियों के अंतर्गत इकाइयों को रु 1 करोड़ तक अथवा जब तक इकाई लघु उद्योग सीमा तक नहीं पहूँचती, जो भी अधिक हो, में (प्रौउनियो के अंतर्गत पात्र) नये निवेश करने को अनुमति दी गई है । योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता की राशि तद्नुसार निकाली जाए।

इस योजना के परिचालन के मार्गदर्शक बिंदु इस पुस्तिका के खंड 5 में दिए गए दिनांक 19 फरवरी 2002 के परिपत्र सं.6 में दिए गए हैं ।

क. **<u>विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए प्रौउनियो के अंतर्गत20% की दर पर सीएलसीएस-प्रौउनियो के अंतर्गत 20%क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सबसिडी -प्रचालन के लिए दिशा-निर्देश</u>**

(i) सरकार ने विद्युत करघा इकाइयों को 5% ब्याज वापसी 15% सीएलसीएस- प्रौउनियो के बदले में प्रौउनियो के अंतर्गत 20% पूंजीगत आर्थिक सहायता का लाभ प्रौउनि के अनुकूल विनिर्दिष्ट मशीनों में निवेश पर प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया है बशर्ते कि अधिकतम पूंजी 60 लाख रूपये हो तथा सहायता पूंजी अधिकतम 12 लाख रू. हो । तथा मशीनरी के लिए

अधिकतम पूंजी रूपये 60 लाख से 1 करोड़ तक बढ़ाई गई है एवं सहायता पूंजी की अधिकत सीमा रूपये 12 लाख से रू. 20 लाख तक दि.13 जनवरी, 2005 से बढ़ाई गई है। 20% (अर्थात रूपये 20 लाख) की बढ़ाई गई पूंजी सहायता की पात्रता निर्धारण का मापदंड है, देशी करघों की खरीद की तिथि 13 जनवरी,2005 या उसके बाद हो तथा आयातित करघों की एन्ट्री का बिल 13 जनवरी,2005 या उसके बाद हो।

(ii) 20% दर पर सीएलसीएस-प्रौउनियो 6 नवंबर 2003 से 31 मार्च 2007 तक प्रचालन में रहेगी । नोडल अभिकरणों द्वारा योजना अवधि की अंतिम तिथि तक मंजूर ऋण 20% पूंजीगत आर्थिक सहायता के लिए पात्र होंगे ।

(iii) योजना के परिचालन तत्वों में अन्य बातों के साथ-साथ पात्रता प्राचल, आर्थिक सहायता की मात्रा, पात्र मशीनें, मूल्य निर्धारण आदि समाविष्ट हैं, जो कि इस पुस्तक के खंड-5 में दि.23 जनवरी 2004, 11 फरवरी 2004, 22 मार्च 2004 तथा 16 जुलाई 2004, 10 नवंबर,2004, 29 दिसंबर,2004, 25 जनवरी,2005, 10 फरवरी,2005, 11 फरवरी,2005 मार्च,2005 तथा 21 अप्रैल,2005 के क्रमश: परिपत्र सं.7 (2003-2004 श्रृंखला), परिपत्र सं.1 (पीडीसी 2003-2004 श्रृंखला), परिपत्र सं.2 (पीडीसी 2003-2004 श्रृंखला) तथा परिपत्र सं.3 (पीडीसी 2003-2004 श्रृंखला) परिपत्र सं.1 (पीडीसी 2004-2005 श्रृंखला) परिपत्र सं. 2 (पीडीसी 2004-2005 श्रृंखला) परिपत्र सं. 6 (पीडीसी 2004-2005 श्रृंखला) परिपत्र सं. 3 (पीडीसी 2004-2005 श्रृंखला) परिपत्र सं. 8 (2004-2005 श्रृंखला) परिपत्र सं. 4 (पीडीसी 2004-2005 श्रृंखला) तथा परिपत्र सं.1 (2005-2006 श्रृंखला) में दिए गए हैं।

(ब) प्रौउनियो के अंतर्गत प्रोसेसिंग मशीनरी के लिए 10% सहायता पूंजी के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन।

i) सरकार ने विनिर्दिष्ट वस्त्र प्रोसेसिंग मशीनरी के लिए प्रौउनियो के अंतर्गत 5% ब्याज सहायता के अतिरिक्त 10% पूंजी सहायता का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया है।

ii) अतिरिक्त 10% पूंजी सहायता 20 अप्रैल,2005 से 19 अप्रैल 2006 तक एक वर्ष की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट प्रोसेसिंग मशीनरी में किए गए निवेश पर लागू है।

iii) पात्रता प्राचलों , पात्र मशीनरी के साथ योजना के परिचालन तत्व दि.29 अप्रैल,2005 के परिपत्र सं.2 (2005-2006) में दिए गये हैं, जो कि इस पुस्तिका के खंड-5 में शामिल है।

(iv) <u>प्रबंधन</u>

प्रौउनि योजना के अंतर्गत सहायता की मंजूरी के लिए मुख्य आवश्यकताओं में से एक संबंधित इकाई का सक्षम प्रबंधन होगी, जो इकाई के कार्यकलाप सुचारू रूप से चलाने एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है । इस हेतु नोडल अभिकरण आवश्यकतानुसार बोर्ड के विस्तारीकरण, वरिष्ठ तकनिकी/वित्तीय व्यवस्थापकों की नियुक्ति, प्रबंधन का व्यावसायिकरण तथा इस प्रकार की समितियों के गठन संबंधी शर्तें निर्धारित कर सकती है ।

(v) <u>कार्यकारी पूँजी की आवश्यकताएं</u>

चूँकि आधुनिकीकरण कार्यक्रम की सफलता एवं इसका पूर्ण लाभ पर्याप्त कार्यकारी पूँजी की उपलब्धता पर निर्भर है, इकाइयों को उनके बैंकों से कार्यकारी पूँजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयास करने चाहिए ।

(vi) नोडल अभिकरण

1. योजना के अंतर्गत विभिन्न खंडों के लिए नोडल अभिकरण निम्नानुसार हैं ।

खंड	नोडल अभिकरण

वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग क्षेत्र को छोड़कर)	आईडीबीआई
लघु उद्योग वस्त्र क्षेत्र	सिडबी
रुई जिनिंग तथा प्रेसिंग क्षेत्र (गैर लघु उद्योग क्षेत्र)	आई डी बी आई
रुई जिनिंग तथा प्रेसिंग क्षेत्र (लघु उद्योग क्षेत्र)	सिडबी
पटसन उद्योग	आईएफसीआई

2. नोडल अभिकरण इस योजना में अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई), राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी), राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआईडीसी) तथा व्यापारिक / सहकारी बैंकों को ऋण की मंजूरी एवं वितरण एवं बेहतर पहुंच के लिए सहयोजित कर सकते हैं । यद्यपि ऐसे संयोजन से कर्जदार के मिलने वाले ब्याज वापसी की दर में कोई कटाव नहीं होगा ।

3. निधि योजना के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन पत्र के विहित प्रपत्र संबंधित नोडल अभिकरणों अथवा सहयोजित एआईएफआई / एसएफसी / एसआईडीसी / व्यापारिक / सहकारी बैंकों, जैसा भी मामला हो, से प्राप्त करके जमा किए जा सकते हैं ।
4. ऋण संबंधी आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा ।
5. नोडल अभिकरण ऋण की मंजूरी तथा वितरण संबंधी एवं अन्य संबंधित जानकारी समय-समय पर वस्त्र आयुक्त को देते रहेंगे । सहयोजित एआईएफआई/ एसएफसी/ एसआईडीसी/व्यापारिक/ सहकारी बैंकों के संबंध में ऐसी जानकारी वस्त्र आयुक्त से संबंधित नोडल अभिकरण द्वारा समन्वित तथा तैयार की जाएगी ।
6. सरकार ने योजना के अंतर्गत त्रैमासिक आधार पर अग्रिम रूप से, परंतु देय तिथि के 15 दिनों से पहले नहीं, कर्जदार को 5% ब्याज की वापसी के लिए नोडल अभिकरणों के साथ निधि के नियोजन को अनुमोदन दिया है । विदेशी मुद्रा ऋण के मामले में, विनिमय दर कटाव, जो कि 5% प्रति वर्ष से अधिक न हो, का समावेश किया जाएगा । इससे कर्जदार को बिना किसी कमी / कटाव के 5% ब्याज की पूर्ण वापसी सुनिश्चित होगी ।
7. सहयोजित वित्तीय संस्थानों के मामले में, सहयोजित एआईएफआई / एसएफसी / एसआईडीसी तथा व्यापारिक / सहकारी बैंकों के ब्याज वापसी दावों की जाँच एवं उनके वास्तविक वितरण के लिए नोडल अभिकरण जिम्मेदार होंगे ।

(vii) देखरेख / मूल्यनिरूपण क्रियाविधि

सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में गठित अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए देखरेख एवं मूल्य निरूपण क्रियाविधि के लिए मापदंड निर्धारित करेगी एवं उसके लिए समुचित मशीनरी स्थापित करेगी । संचालन समिति योजना के क्रियान्वयन का समय-समय पर समीक्षा करेगी ।

हस्ता./-
(एन्. रामकृष्णन्)
संयुक्त सचिव

टिप्पणी :- सरकारी संकल्प के भाग-II के पैरा 2 में यथा संदर्भित परिशिष्ट ए से आई में पात्र मशीनों की सूची इस पुस्तिका के खंड 4 में दी गयी है ।

000